भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **1973**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 6 दिसंबर, 2024/15 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है।

रासायनिक उर्वरकों की खपत संबंधी सीमा

1973. श्री दुरई वाइको:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की योजना यूरिया, डीएपी और म्यूरेट ऑफ पोटाश जैसे रासायनिक उर्वरकों की खपत को सीमित करने की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार ने 'धरती माता की उर्वरता की बहाली' जागरूकता सृजन, पोषण और सुधार के लिए प्रधानमंत्री कार्यक्रम' (पीएम-प्रणाम) योजना की शुरुआत के पश्चात् रासायनिक उर्वरकों की मांग में प्रतिशत कमी का पता लगाया है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): भारत सरकार की रासायनिक उर्वरकों की खपत को सीमित करने की कोई योजना नहीं है। तथापि, भारत सरकार मृदा परीक्षण आधारित सिफारिश पर उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा दे रही है और नैनो यूरिया और नैनो डीएपी आदि जैसे नवीन उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है।

(ग) और (घ): आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने 28 जून, 2023 को "धरती माता की उर्वरता की बहाली, जागरूकता सृजन, पोषण और सुधार के लिए प्रधान मंत्री कार्यक्रम (पीएम-प्रणाम)" का अनुमोदन किया है। इस पहल का उद्देश्य उर्वरकों के सतत और संतुलित प्रयोग को बढ़ावा देने, वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाने, आर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने और संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों को लागू करके धरती माता के स्वास्थ्य को बचाने के लिए राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों (यूटी) द्वारा शुरू किए गए जन अभियान का समर्थन करना है। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को प्रोत्साहन पिछले तीन वर्षों की औसत खपत की तुलना में किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में रासायनिक उर्वरकों (यूरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी) की खपत में कमी करने के लिए उनके द्वारा बचाई गई उर्वरक सब्सिडी के 50% के समतुल्य होगा।

******